राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1676 / 2012

देशराज तोमर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक, कृषि एवं कृषि भू–सर्वेक्षण, इगानप, कृषि भवन, सागर रोड़, बीकानेर।
3. श्री रामदयाल बैरवा, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि (गुण नियन्त्रण) दुर्गापुरा, जयपुर।
4. श्री भैरूदान सोलंकी, कार्यालय उपनिदेशक, कृषि (भू सर्वेक्षण) इगानप, कोठी नं. 8, बीकानेर ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.11.2012

आदेश की दिनांक : 21.12.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राज्य सरकार की सेवा में चतुर्थ श्रेणी पद पर दिनांक 28.12.1992 को हुई थी। कार्यालय आदेश दिनांक 08.10.2012 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ट (जुनियर) कर्मचारियों को कनिष्ट लिपिक के पद पर पदौन्नत कर दिया गया जबकि अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण थी, जो कनिष्ट लिपिक पद के लिये वांछित योग्यता अपीलार्थी रखता था, फिर भी अपीलार्थी को कनिष्ट लिपिक पद पर पदौन्नत नहीं किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 08.10.2012 में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता पर किया जाना दर्शाया गया है । अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से वरिष्ठ है एवं कनिष्ट लिपिक पद की योग्यता भी रखता है फिर भी अपीलार्थी को कनिष्ट लिपिक पदोन्नति से वंचित रखा गया है जिससे अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय हुआ है। वरिष्ठता सूची दिनांक 02.04.2008 में अपीलार्थी का नाम क्रम.स. 14 पर अंकित है जबकि अपीलार्थी से कनिष्ट अप्रार्थी संख्या 3 रामदयाल बैरवा का नाम क्रम संख्या 25 पर एवं

भैरूदान सोलंकी का नाम क्रम संख्या 42 पर अंकित है। वरिष्ठता सूची दिनांक 10.06.2010 में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 14 पर जबकि रामदयाल बैरवा का नाम क्रम संख्या 26 पर एवं भैरूंदान सोलंकी का नाम क्रम संख्या 43 पर हे ।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

    1. ''अपीलार्थी से कनिष्ट अन्य कर्मचारियों को कनिष्ट लिपिक पदोन्नति का आदेश क्रमांक एफ–2(4)(क.लि.) पदो/आ.कृ./2012/2931–50 दिनांक 08.10.2012 प्रदर्श 1 सरासर गलत, अनुचित, अवैध, अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
    2. प्रत्यर्थी पक्ष को आदेश/निर्देश फरमाया जावे कि अपीलार्थी को कनिष्ट लिपिक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर जिस दिनांक से कनिष्ट कर्मचारियों को पदोन्नत किया है उसी दिनांक से पदोन्नत किया जावे। तद्नुसार कनिष्ट लिपिक पद के समस्त परिलाभ दिलाये जावें।
    3. अन्य कोई अनुतोष जो अपीलार्थी के पक्ष में न्यायहित में हो दिलाया जाने का आदेश फरमाया जावे।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का नाम दिनांक 13.10.2011 को जारी वरिष्ठता एवं योग्यता सूची में क्रम सं. 4 पर इसलिये दर्ज है क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2011 को सीनियर सैकण्डरी के समकक्ष परीक्षा इन्टर उर्तीण कर रखी है किन्तु अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 01.04.2011 को कम्पयूटर कोर्स उत्त्तीण नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति नहीं की गयी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2011 को पदोन्नति की नवीनतम योग्यता सीनियर सैकण्डरी के साथ कम्पयूटर कोर्स वाले सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गयी है। दिनांक 08.10.2012 को जारी आदेश में दिनांक 05.07.2010 के पश्चात् अर्जित पदोन्नति हेतु रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.04.2011 को नवीनतम पदोन्नति की योग्यता सीनियर सैकण्डरी के साथ कम्पूयटर कोर्स उर्तीण सहायक कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही की गयी है। दिनांक 01.04.2011 को अपीलार्थी वरिष्ठता के साथ इन्टर उर्तीण था किन्तु

कम्पयूटर कोर्स उर्तीण नहीं होकर पूर्ण योग्यता नहीं रखने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हो सकी।

4. हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2012 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2011—12 की रिक्तियों के लिये पदोन्नति समिति द्वारा बैठक आयोजित करने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर दी गयी थी, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति रामदयाल बैरवा एवं भैरूदान सोलंकी को पदोन्नति दी गयी, परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया, जबकि अपीलार्थी इन व्यक्तियों से वरिष्ठ था। अपीलार्थी की ओर से अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में वरिष्ठता सूची भी प्रस्तुत की गयी है। वरिष्ठता सूची दिनांक 02.04.2008 (अनुलग्नक—3) से प्रकट होता है कि अपीलार्थी रामदयाल बैरवा एवं भैरूदान सोलंकी से वरिष्ठ था। इसके अलावा अपीलार्थी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2010 में भी अपीलार्थी इन व्यक्तियों से वरिष्ठ है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 05.12.2012 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें Rajasthan Subordinate offices Ministerial Services Rules, 1999 में परिपत्र दिनांक 05.12.2012 के द्वारा निम्न प्रकार से संशोधन किया गया था :—

" 2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-l appended to the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, the existing entries in column number 7 against serial number 10 under the heading General Wing, shall be substituted by the following, namely:-

"(i) For the post available for promotion up to 31 July, 2013-

A. Secondary from a recognised Board,

and

B. Five years' experience on the post mentioned in column number 6.

(ii) For the post available for promotion after 31 July, 2013- A.

A. Serior Secondary from a recognised Board or its Equivalent Examination,

and

B. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India,

or

C. Computer Operator and Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organised under National/State Council of Vocational Training Scheme.

or

D. Diploma in Computer Science/ Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government.

or

E. Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

or

F. Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

and

C. Five years' experience on the post mentioned in column number 6."

By Order and in the name of the Governor,"

6. उक्त संशोधन दिनांक 01.07.2010 से लागू किया गया था। उक्त संशोधन में यह प्रावधान रखा गया था कि 31.07.2013 तक की रिक्तियों में पदोन्नति के लिये योग्यता 10वीं पास एवं पांच वर्ष का अनुभव देखा जाएगा एवं दिनांक 31.07.2013 के बाद की रिक्तियों के लिये योग्यता अलग रखी गयी थी। वर्ष 2011–12 के लिये आलोच्य आदेश से पदोन्नति प्रदान की गयी थी। वर्ष 2011–12 के लिये केवल 10वीं पास एवं पांच वर्ष का अनुभव ही योग्यता रखी गयी थी। अपीलार्थी चूंकि 10वीं पास था। अतः अपीलार्थी वर्ष 2011–12 में 10वीं पास एवं पांच वर्ष का अनुभव रखता था। ऐसे में अपीलार्थी वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्व पदोन्नति के लिये विचार किये जाने येाग्य था।

7. प्रत्यर्थी विभाग ने यह कथन अंकित किया है कि दिनांक 05.07.2010 से ही 12वीं पास के साथ कम्प्यूटर की योग्यता रखी गयी थी, जो उचित

नहीं है, क्योंकि 12वीं पास व कम्प्यूटर की योग्यता दिनांक 31.07.2013 के बाद की रिक्तियों के लिये लागू की गयी है। अपीलार्थी को केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी योग्यता नहीं रखता था, अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के लिये विचार किये जाने से वंचित नहीं रखा जा सकता था।

8. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के लिये अपीलार्थी के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए व अपीलार्थी पर विचार किया जावे एवं अपीलार्थी यदि योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाऐ।

9. इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)